



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN - U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष - 0145-2644501, फ़ेक्स - 0145-2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.-II/2018-19/प्रे 329

दि: 09-05-2018

आदेश

विषय:- कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

कृषि उपभोक्ताओं के लम्बित सतर्कता जांच प्रकरणों के एकमुश्त निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि हेतु विद्युत योजना वाणिज्य आदेश संख्या 730 दिनांक 13.03.2018 द्वारा प्रसारित की गई थी जिसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढे हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा कर नियमित कराने की अवधि दिनांक 30.04.2018 तक निश्चित की गई थी। इस योजना की अवधि को दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी वाणिज्य आदेश संख्या 730 के अनुसार ही रहेगी।

आज्ञा से

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविनि.लि, अजमेर